Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी ....मुकाम ....बयाना..............................

बृजलाल आदि ....बनाम .... चित्रा वगैराह ....

किस्म मुकदमा ...प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट ....नं.......................सन् ....16/25....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
20.01.2025	प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करनें का निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम नारौली तहसील बयाना में वादीगण/प्रार्थीगण के हिस्से की आराजी के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा नहीं करें। शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। अनाधिकृत कब्जा नहीं करें। ट्यूबवैल एवं पुख्ता तामीर को नष्ट व बर्बाद नहीं करें। विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से को रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करें। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी को एकपक्षीय सुना। बहंस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन किया। अतः अप्रार्थीगण मूल के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी 08.04.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नारौली तहसील बयाना के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थायी निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझी जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 08.04.2025 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.	
8/4/25	[illegible]	

प्रार्थीगण पक्ष से भी अभिभाषक उपस्थित — [illegible]
निगरानी [illegible] पत्रावली काफी समय
से लम्बित चली आ रही है बाद आदेश
प्रकरण दि. 10/7/25 को पेश होवे।

16/7/25 — उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित बहस हेतु
[illegible] चाहा है प्रकरण दिनांक
13/10/25 को पेश हो।

13/10/25 पीठासीन अधिकारी डीआर कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 9/1/26 को पेश है।

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

9/1/26 पीठासीन अधिकारी BPR प्रभारी है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/4/26 को पेश है।

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

13/4/26 प्रकरण पेश हुआ। उभय पक्ष वादी उपस्थित। स्थगन आदेश बाबत बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष मे प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय द्वारा जो जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 20/1/25 को मूल वाद के निर्णय तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।